

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) अफसर
मुडनासरा-जयपुर

बनाम शिवकुं देवी व इतर
08 / 20 19

मुकदमा संख्या / वर्ष

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष कि
	04/05/19	<p>दिनांक 04/05/19 को निर्दिष्ट किया जाता है कि आगामी तिथि तक पट्टा का पत्रक एवं दे कदम नहीं होयेगा।</p> <p>शेवकर कदम खतः ही कदम जाना जायेगा तथा गुणावगुण पट्टा अथवा निर्णय पत्रिका परित किया जायेगा। प्रावली को कदम ली. आई. दिनांक 04/07/19 को पेश की</p>	
	04/07/19	<p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) अफसर मुडनासरा-जयपुर</p> <p>प्रावली पेश डक / अधिवक्तागण उपपक्ष उपस्थित / कदम प्रावलीगण ली. आई. पर सुनी गई।</p> <p>उपपक्षकारान को मुलवाप के मितागण तक जारीये कस्यार्थ निर्पेक्षा से पाकन्द किया जाता है कि वे गाम/डाका कोकर तह. कोकर जिला जयपुर स्थित काद बंधन मुनि का. ख. नं. 11 नापन 16, 18, 29, 30, 31 कुल खकरा किला-10 रकबा 2.34 हे. के विविधत मुनाग का केषाव सा करे तथा मुनि पर कोई निमति काप्र ना करे व मोचकी यथासिद्ध बनाए रखे। विरासत के व राजकीय सन्दर्भ में राजस्य रिपोर्ट की यथासिद्ध सपगन प्रकावी नही होग साथ ही मोडे की यथासिद्ध के सन्दर्भ में पूर्व से मिानर कुषि कार्य आवत, सपगन भादरा प्रकावी नही होग। निर्णय सुनाया गया।</p> <p>प्रावली कुल शुकल देकर दक शेवकर से कदम ही काद तहसील काकिल 24/7/19</p>	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) अफसर